तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.22	वकुलाय पक्षकारान उपस्थि वादी वकील द्वारा दस्तावेजात पेश किया गये जो शामिल मिसल रहे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 सी.पी.सी. की बहस सुनी गई प्रतिवादी वकिल द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चन्द्राराम बनाम सकाराम वगैरा गलत तौर से पेश किया है क्योंकि इस वाद से पुर्व इन्ही पक्षकारो के मध्य इसी वाद ग्रस्त भूमि के संबन्ध में एक राजस्व वाद 39/1997 अनवान कानाराम वगैरा बनाम जौराराम वगैरा मौजा मियो का बाडा (महेश नगर) पटवार मण्डल रामपुरा के खेत खसरा संख्या 84 व 83 वर्तमान खसरा संख्या 336/83 का वाद सहायक कलेक्टर बालोतरा के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा व निषेधाज्ञा का वादपत्र दिनांक 20.08.2002 को पुर्ण रूप से निर्णिय हुआ था जिसमें वादीगण के पिता जौराराम के द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया गया था जो काउण्टर क्लेम जोराराम का खारिज किया गया था अर्थात उक्त वाद पुर्व न्याय से बाधित होने के कारण धारा 11 सी.पी.सी के तहत प्राड् न्याय के सिद्धांत से प्रभावित होने से वाद पत्र खारिज किया जावे। वादी वकील ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वर्तमान वाद घोषणा के अनुतोष का है तथा वादी पूर्व वाद में पक्षकार नही था तथा उक्त वाद व पुर्व वाद पुर्णत भिन्न है लिहाजा उक्त वाद प्राड् न्याय से किसी प्रकार से सरोकार नही है व प्राड् न्याय का सिद्धांत वर्तमान वाद पत्र पर लागु नही होता है। हमने दोनो पक्षो कि बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया तथा संबधित विधि का अध्ययन किया गया। प्राड् न्याय के सिद्धांत के अनुसार **"कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या विवाद्यय के का विचारण नही करेगा जिस मे प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी के हक के अधिन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था, और ऐसे न्यायालय द्वारा चुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।"** इसी खसरे के संबन्ध में पूर्व वाद संख्या 39/1997 बअनवान कानाराम वगैरा	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.08.22	बनाम जौराराम वगैरा निर्णय दिनांक 20.08.2002 हो चुका है निर्णय कि प्रति संलग्न है जिसमें वर्तमान वाद के वादी चन्द्राराम का पिता जोराराम पक्षकार था तथा जोराराम द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया गया था जो विवाद्यय के कायम कर पुर्ण रूप से निर्णय किया जा चुका है ऐसी स्थिती में वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान वाद पर स्पष्ट रूप से प्राड् न्याय का सिद्धांत लागु होता है अर्थात वादी का वाद धारा 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज योग्य है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्राड् न्याय के सिद्धांत से बाधित होने के कारण प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद धारा 11 सी पी सी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना